कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।

पत्रांकः वै0सहा0ःमान्यता/E-NUPS-677/2020 /2019–20 दिनांकः 17-02-2020

सेवा में,

प्रबंधक,
समर वैली स्कूल,
अगवानपुर बाईपास–मुरादाबाद।

महोदय/महोदया,

आपके विद्यालय को इस कार्यालय के आदेशः बे0 शि0/शि0 सहा0/ मान्यता/ E-NUPS-200/2016/ 2016–17/ दिनांक 02.01.2017 के द्वारा **अंग्रेजी माध्यम (कक्षा–नर्सरी से कक्षा–8 तक)** की औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए प्रदान की गई थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के उपरान्त, विद्यालय को मान्यता दिये जाने सम्बन्धित संशोधित मानकों एवं शर्तों के अनुसार औपबन्धित मान्यता तीन वर्षों के लिए प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18 (20)/91शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08 मई, 2013 में दिये गये मानकों एवं शर्तों के नियम–13 में प्राविधानित है कि **''इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है''**

आपकी आवेदित पत्रावली पर खण्ड शिक्षा अधिकारी से मान्यता संबंधित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण/जॉच करा ली गयी है। अतः उक्तानुसार पुनः मान्यता की आवश्यकता नहीं है, किन्तु समय–समय पर निर्गत शासनादेश/विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं प्रदत्त मान्यता शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है तो शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्रत्याहरण करने की कार्यवाही की जाएगी।

(योगेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।

पृ0सं0/वै0सहा0/मान्यता/ /2019–20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मण्ड़लीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्ड़ल, मुरादाबाद।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुरादाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।